

फर्द एहकाम

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

बिजेन्द्र सिंह आदि बनाम सरदार सिंह बगैरहा

किरम मुकदमा :- प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स० /08

/05/08

बिजेन्द्र सिंह

देवी सिंह पिसराम सम्पत सिंह जाति राजपूत निवासी

मुन्शी सिंह बदलेटा खुर्द

उमेद सिंह

उर्मिला देवी पुत्री सम्पत सिंह पत्नि जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी
पलखेड़ा तहसील महवा जिला दौसा

----- सायलान

बनाम

सरदार सिंह पुत्र सम्पत सिंह जाति राजपूत निवासी बदलेटा खुर्द

करण सिंह

छोटू सिंह पिसराम शैतान सिंह जाति राजपूत निवासी बदलेटा खुर्द

विजय सिंह

राजेन्द्र सिंह पिसराम कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी बदलेटा खुर्द

रमेश सिंह

तहसीलदार तहसील टोडाभीम

----- गैर सायलान

प्रार्थना पत्र बावत अस्थाई निषेधाज्ञा

पल बकील श्री सुनील जिन्दल ने प्रार्थना पत्र बावत अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया
पल बकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सपथ पत्र रिकार्ड का
लोकन किया । प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष में होना प्रतीत होता है अतः

सायलान को आगामी तारीख पेशी दिनांक 15/05/08 तक अन्तरिम अस्थाई
घज्ञा से पाबन्ध किया जाता है कि वे ग्राम बदलेटा खुर्द तहसील टोडाभीम के

बन्दी के खाता स० 99 मे खसरा न० 831,835,836,837,840/1013,
1/1015,841/1014,843,844,845,847,848,848/1018,849/1017,850,850/1016,

861,862,863,865,866,909,910,911,912,913,913/1019,914,914/1020,915,916,

/1021, कुल किता 33, खाता स० 100 म खसरा न० 766/1195,771/1196,

2/1194,799,800,878/1042,890,892,893,894,895,896,900,901/1197,902,903,

किता 16 खाता स० 104 में खसरा न० 852,854,855,861/1193,908,909/1192

किता 6 खाता स० 107 में खसरान 0327,328,329,330,331,332,333,334,393/980,

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

न० १०१८ सि० ५०१५०/१९५

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
10-10-19	वकूलाय उपस्थित / बहस सुनी गई / वास्ते आदेश दिनांक 25-10-19 को पेश हो। <i>[Signature]</i>
25-10-19	पत्रावली पेश हुई / वार की ओर से कार्यस्थान रखा गया है / गतानुसार वास्ते आदेश दिनांक 30-10-19 को पेश हो। <i>[Signature]</i>
30-10-19	पत्रावली पेश हुई / वकील अधपक्ष उपस्थित मजिद बहस सुनी गई / इस प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल काद घोषणा खते दारी, लम्हाने एवं स्पार्ड निवेदाज्ञा का है जो कि प्रतिवादी साक्ष्य में नियत है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निवेदाज्ञा में दिनांक 15-2-2008 को अंतरिम अस्थायी निवेदाज्ञा भूमि विक्रय नहीं करने के लिए जारी थी प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही अपनी बहस में दोहराया तथा वकील प्रतिवादी में जबाब में वर्णित तथ्यों को ही अपनी बहस में दोहराया। पत्रावली का अवलोकन का मनन किया। मूल दावा भी प्रतिवादी साक्ष्य पूर्ण होने के बाद अतः यह दिनांक 15-2-2008 को जारी अंतरिम अस्थायी निवेदाज्ञा को दावा के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। अप्रार्थीगण में वर्णित आराजीपात को विक्रय रद्द नहीं करने के लिए पाबन्द किया जाता है पत्रावली के शमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे। <i>[Signature]</i> उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

